(वाद सं0–4916/18)

01.07.2021

परिवादी, मिली प्रियदर्शीनी, पत्नी नीरज कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, नालन्दा, बिहार शरीफ की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रसंगाधीन मामला भ्रष्टाचार निरोधक अधीनियम 1988 की धाराओं–8/7/13(2) सह पठित धारा–13(1)(डी) के अर्न्तगत संस्थित निगरानी (पटना) थाना कांड संख्या–58/2017, दिनांक–21.07.2017 के अन्तर्गत प्राथमिक अभियुक्त (परिवादी के पति) नीरज कुमार को गलत रूप से फँसाने तथा अवैध रूप से गिरफ्तार करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रसंगाधीन कांड में अन्वेषणोपरान्त परिवादी के पति की संलिप्तता को सत्य पाकर उनके विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम–1988 की धाराओं, 8/7/13(2) सह पठित धारा–13(1)(डी) के अर्न्तगत आरोप–पत्र संख्या–120/18, दिनांक–06.10.2018 माननीय विशेष निगरानी न्यायालय, पटना में समर्पित किया जा चुका है तथा वर्त्तमान में प्रसंगाधीन मामला माननीय विशेष न्यायालय, (ट्रेप), पटना के समक्ष विचारार्थ लंबित है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी।

परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में कांड के तत्कालीन अनुसंधानकर्त्ता, महराजा कनिष्क कुमार, से व्यक्तिगत दुश्मनी का उल्लेख करते हुए अपने पति को वैमनस्यता के कारण फँसाये जाने का उल्लेख किया है साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि उनके पति के गिरफ्तारी के समय Memo of arrest नहीं बनाया गया और न ही उक्त Memo of arrest पर उसके गिरफ्तार पति का हस्ताक्षर ही लिया गया और साथ ही साथ उसके गिरफ्तार पति के गिरफ्तारी के संबंध में उनके निकट संबंधियों को सूचना भी दिया गया।

उक्त पर पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से बिन्दुवार प्रत्युत्तर दिया गया। जिसमें उन्होनें परिवादी द्वारा अपने पति के गिरफ्तारी के समय नियम विरूद्ध कार्य करने से संबंधित तथ्य को अस्वीकार किया है। पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना का यह भी कथन है कि प्रस्तुत कांड के अनुसंधान के संबंध में परिवादी के पति द्वारा एक Cr.Misc.No-44971/2019 दाखिल किया गया था जिसे माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया तथा रिट याचिका की सुनवाई के क्रम में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रसंगाधीन कांड के अन्वेषण के संबंध में कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया गया है।

पुनः उस पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी द्वारा पुनः अपने प्रत्युत्तर में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि उसके पति की गिरफ्तारी के संबंध में नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है।

संचिका के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि **प्रसंगाधीन मामला वर्तमान में सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। परिवादी अगर अपने पति की गिरफ्तारी को अवैध मानती है तो वह इस संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकती है। जहाँ तक परिवादी के पति की गिरफ्तारी में अनियमितता का संबंध है, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंघ में विचार कर परिवादी के याचिका को गुण–दोष के आधार पर अस्वीकृत किया जा चुका है।**

अतः अब उपरोक्त परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक